रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 1972/भाद्र 22, 1894

No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1972/BHADRA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September 1972

No. RS.1/4/72-L.—The following order by the President, dated the 12th September, 1972, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 13th November, 1972, at New Delhi.

V. V. GIRI,
President."

The 12th September, 1972.

S. S. BHALERAO,
for Secretary.

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1972

संख्या आर० एस० 1/4/72-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 12 सितम्बर, 1972 आम सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 13 नवम्बर, 1972 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिये आमंत्रित करता हूं ।

वी० वी० गिरि,
राष्ट्रपति ।"

12 सितम्बर, 1972 ।

एस० एस० भालेराव,
कुने सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972